

General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

राजेश पुत्र ईश्वर वगैरह जाति जाट निवासी बि गेट, नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज.)	-बनाम-	राजेश पूनियां पुत्र सुलतान पूनिया वगैरह जाति जाट निवासी घुमचक्कर नवलगढ, तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज.)
--	--------	--

मु.नं. 30/2025

मु.नं. 02/2025

दावा मुकदमा - दावा स्थायी निषेधाज्ञा  
दावा वादी की ओर से वकील श्री सज्जन कुमार चाहर एवं श्री  
नेमीचन्द डुडी ने पेश किया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन  
किया गया। वाद/दर्ज रजिस्टर किया जाकर, प्रस्तुत  
सम्मन/तलबाना पर प्रतिवादीगण की तलबी जारी होकर आईन्दा  
दिनांक 28.03.2025 को पेश हो।

(जयसिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
नवलगढ

28/3/2025

प्रतिवादि वं. 10 व 11 की कोर से  
वकील श्री आनंदी लाल देवी ने कालम्मा  
पेश किया। वकील राजे व राजे स्वयं  
को आवाज़ लगाई जही पल्टु बा-बा  
आवाज़ लगाये तथा शाम 6:00 बजे  
के उपपत् की अनुपस्थित रहे।  
स्लिहना उक्त वाद राजे कडप  
हजिये कडप पेटनी जाहि किया जात  
है पत्रावली फेदल कुमार हे कडप  
दे कडप हे वाद तकमील जासा दखिल  
काम है।

उपखण्ड अधिकारी  
(नवलगढ)